न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मनोहरथाना

वाद वादी वकील श्री फिरोज खाँ .... द्वारा प्रस्तुत किया गया ।

1. वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत किया है ।
2. वाद श्रवणाधिकार क्षेत्र का है ।
3. नियमानुसार कोर्ट फीस पर है ।
4. प्रतिवादी पक्ष का पूर्ण पता अंकित है ।
5. प्रतिवादी पक्ष के पर्याप्त सम्मन एवं पर्याप्त वाद की प्रति संलग्न की हैं।
6. पर्याप्त हेतुक दर्शाया गया है ।
7. वाद पत्र के साथ नवीनतम/आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है ।

रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें पेश है ।

रीडर
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना जिला झालावाड़

26-7-19 वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे । पत्रावली वाले जवाब दिनांक 18/9/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

18-9-19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप./ प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित हैं इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 22-10-19 को पेश हो।

उपखण्ड अधि[illegible]
मनोहरथाना, जिला झा[illegible]

22-10-19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनु.उप. वा[illegible] स्वयं अनु.उप./ पत्रावली समय पर कोई वादी आ[illegible] पीलिंग के बाद पत्रावली अदम पैरवी एवं अदम [illegible] खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़